

Date ___/___/___

Page No.: ①

Date :- 23/5/2020

Content Writer :-

Dr. Ashay Kumar Pathak
Deptt. of Economics,
Mayurani College,
Durgamanga (LNMU)

Degree BSc-2 (Hons.)

Paper - 2

Content of Paper :-

Micro Economics

Module :- 2

TOPIC :- ANALYSIS OF LAW OF
DIMINISHING MARGINAL
UTILITY
(क्षीयमान उपयोजिता द्वाय नियम का विश्लेषण)

उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत
 तीन तरह के परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है।
 इनमें तीन परिस्थितियाँ क्रमशः अनुनात्मक स्थिति एवं
 अनुनात्मक उपयोगिता विश्लेषण के नाम से अर्थशास्त्र के
 सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता
 द्वारा उपभोग किए जाने की स्थिति में जब सीमान्त
 उपयोगिता अन्य पर पर्यवर्ती होती है तो तब सीमा
 के रूप माना जाता है। लेकिन उस तब सीमा के बाह्य
 में यदि उपभोग की प्रक्रिया जारी रहती है तो उपयोगिता
 अपने अनुनात्मक स्थिति में चली जाती है। इस स्थिति
 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सीमान्त उपयोगिता द्वारा
 नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम की
 सर्वप्रथम प्रो. गोसैन नामक अर्थशास्त्री ने कहा
 कि ए. प्रो. माथेल ने इसे एक सिद्धांत के रूप में
 व्याख्या की। इसलिए इस नियम को 'गोसैन
 के पहला नियम' के रूप में भी जाना जाता है।
 प्रो. माथेल ने इस सिद्धांत की
 व्याख्या करते हुए कहा है कि "कल्पित सीमा
 रही पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के मात्रा
 में वृद्धि लेने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता
 है वह उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई में
 वृद्धि के साथ-साथ घटता जाता है।" अर्थात्
 सीमान्त उपयोगिता द्वारा नियम हम यह बताता
 है कि जब-जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त

इकाई का प्रयोग करते जाते हैं। इसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मात्रा बढ़ती जाती है तथा शून्य की स्थिति तक पहुँचने के बाद हासमान हो जाती है। तात्पर्य यह है कि हासमान होती उपयोगिता के एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की सीमान्त उपयोगिता हास नियम के नाम से जाना जाता है।

हासमान उपयोगिता लागू होने के कारण:-

लागू होने के दो प्रमुख कारणों की व्याख्या की है, जो निम्नोक्त हैं:-

(I) प्रत्येक आवश्यकता विश्लेष को पूर्ण रूप से पूर्ण किया जा सकता है:-

किसी भी वस्तु के लिए हमारी आवश्यकता कितनी भी तीव्र हो, उस वस्तु के उपयोग से उसे पूर्ण रूप से पूर्ण किया जा सकता है। यही कारण है कि जैसे-जैसे किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते जाते हैं, वैसे-वैसे उसकी ऊँची इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम हो जाती है।

(II) वस्तु पूर्ण व्यापार्य नहीं होती:-

सीमान्त उपयोगिता हास नियम लागू होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि वस्तु पूर्ण रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग

करने योग्य नहीं होती तथा उनका इन्पुट अनुपात में ही उपयोग किया जाता है।

सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएँ:-

- (a) उपयोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ शुद्ध तथा परिमाण में समान रहनी चाहिए।
- (b) उपयोग निरंतर रूप में होनी चाहिए।
- (c) उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पचावस स्थिर रहनी चाहिए।
- (d) वस्तु के इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए।
- (e) पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए जिसमें वस्तु एवं उसके त्यागपत्रों की कीमतें स्थिर बरना रहनी चाहिए।
- (f) उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
- (g) उपभोक्ता की रुचि कैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त मान्यताओं के बावजूद भी सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम पूर्ण रूप से लागू होता है। परन्तु इस नियम के कुछ अपवादों की चर्चा कुछ अवस्थास्थितियों में की है। यद्यपि ये अपवाद वास्तविक अपवादों के

रूप में नहीं माना जा सकता है, तथापि कुछ अपवादों की पर्याप्त विवक्षित रूप में ही जा सकती है।

सीमान्त उपपत्तियों का यह नियम के अपवाद :-

- (I) दुर्लभ एवं प्रदर्शन की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता।
- (II) सुन्दर गीत एवं सुन्दर कविताओं पर यह नियम लागू नहीं होता।
- (III) असाधारण व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता।
- (IV) वस्तु के उपभोक्ताओं के दिखावा बढ़ जाने से यह नियम लागू नहीं होता।
- (V) वैज्ञानिक दिग्गजों के उपभोग पर यह नियम लागू नहीं होता।
- (VI) अनेक व्यक्तियों के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता।

उपरोक्त अपवादों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह नियम का कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। अतः यह एक सर्वव्यापी नियम के रूप में व्यवहार के क्षेत्र में माना जाता है।